# हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1976

## धाराओं का क्रम

**धाराएं:**

1. संक्षिप्त नाम।
2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।
3. व्यावृत्तियां।
**अनुसूची।**

---

# हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 26)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 सितम्बर, 1987 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12 दिसम्बर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2412 से 2415 पर हिन्दी में प्रकाशित किया गया)

**कतिपय अधिनियमितियों के निरसन के लिए अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1976 है।

2. **कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

---

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 04 सितम्बर, 1987 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12 दिसम्बर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2412 से 2415 पर प्रकाशित किया गया।

3. **व्यावृत्तियां**.—इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,—

(क) किन्हीं अन्य अधिनियमितियों को, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, प्रभावित नहीं करेगा; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई किसी बात को प्रभावित; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित; या

(ड.) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उस के सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन, या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति की, इस बात के होते हुए भी कि व किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उस में या उस से, क्रमशः अभिपुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को प्रभावित; या

(ज) यथा पूर्वोक्त, ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शान्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेपण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

## अनुसूची

### (देखिए धारा 2 )

| वर्ष<br>1 | सं0<br>2 | संक्षिप्त नाम<br>3 | निरसन का विस्तार<br>4 |
|---|---|---|---|
| 1883 | 20 | हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू, दि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1883 । | सम्पूर्ण |
| 1916 | 1 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब मिलिटरी ट्रांस्पोर्ट ऐक्ट, 1916 । | सम्पूर्ण |
| 1927 | 3 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (टैक्स बैलिडेटिंग) ऐक्ट, 1927 । | सम्पूर्ण |
| 1947 | 9 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब लोकल अथारिटीज़ (रेस्ट्रिक्शन आफ फंक्शन्ज़) ऐक्ट, 1947 । | सम्पूर्ण |
| 1948 | 13 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब (एक्सचेंज आफ प्रिज़नर्स) ऐक्ट, 1948 । | सम्पूर्ण |
| 1948 | 29 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब स्पेशल ट्रिब्यूनल (कन्टीन्यूएंस) ऐक्ट, 1948 । | सम्पूर्ण |
| 1949 | 10 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि ईस्ट पंजाब डैमेजड एरिआज़ ऐक्ट, 1949 । | सम्पूर्ण |
| 1949 | 15 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब कन्ज़र्वेशन आफ मैन्योर ऐक्ट, 1949 । | सम्पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1949 | 19 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब इम्प्रूवड सीड्स एण्ड सीडलिग्ज ऐक्ट, 1948 । | सम्पूर्ण |
| 1950 | 10 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब स्पेशल ट्रिब्यूनल (चेंज आफ कम्पोजीशन) ऐक्ट, 1950 । | सम्पूर्ण |
| 1950 | 12 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब लोकल अथारिटीज़ (प्रोबीज़न आफ स्टाल्स फार डिसपलेस्ड पर्सन्ज़) ऐक्ट, 1950 । | सम्पूर्ण |
| 1951 | 7 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब फारवर्ड कान्ट्रैक्टस टैक्स ऐक्ट, 1951 । | सम्पूर्ण |
| 1951 | 10 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब डिवल्पमैंट आफ डमेज्जड एरियाज़ ऐक्ट, 1951 । | सम्पूर्ण |
| 1953 | 40 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब शूगरकन (रेग्यूलेशन आफ परचेज़ एण्ड सप्लाई) ऐक्ट, 1953 । | सम्पूर्ण |
| 1955 | 27 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (टैक्स वैलिडेटिंग) ऐक्ट, 1955 । | सम्पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1956 | 31 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि शडूयूल्ड एरिआज़ ट्रेडर्ज़ (फैसिलिटीज़ फार लोन्स) ऐक्ट, 1956 । | सम्पूर्ण |
| 1957 | 8 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (पंजाब अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1957 । | सम्पूर्ण |
| 1957 | 9 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अमैंडमैंट एण्ड मिस्लेनियस प्रोवीज़न्स) (पंजाब अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1957 । | सम्पूर्ण |
| 1958 | 8 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब टैक्सटाईल्स एण्ड शूगर (एग्ज़िस्टिंग स्टाक्स पर्चेज़ टैक्स एण्ड मिस्लेनियस प्रोवीज़न्स) ऐक्ट, 1958 । | सम्पूर्ण |
| 1959 | 22 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब लोकल अथारिटीज़ (ऐडिड स्कूल्स) ऐक्ट, 1958 । | सम्पूर्ण |
| 1959 | 27 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब कोआपरेटिव शूगर मिल्स (फरदर एक्सटेन्शन आफ टैन्योर आफ बोर्डस) ऐक्ट, 1959 । | सम्पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1959 | 34 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब इसेंशियल कमाडिटीज़ (पंजाब अमैंडमैन्ट) ऐक्ट, 1959 । | सम्पूर्ण |
| 1960 | 25 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब नान ट्रेडिंग कम्पनीज़ ऐक्ट, 1960 । | सम्पूर्ण |
| 1969 | 1970 का 18 | हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त दि हिमाचल प्रदेश सरचार्ज आन पर्चेज़ आफ फारेस्ट प्रोड्यूस ऐक्ट, 1969 । | सम्पूर्ण |